

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

-: संशोधित आदेश :-

क्र.-०/एक-11-1/97/(S.W.)

जबलपुर दिनांक-०२ मार्च 2023

सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक, जो दिनांक 03 जनवरी 2023 को जारी किया गया है उसमें आंशिक संशोधन किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा।

01. सरल क्र. 21 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (इक्कीसवां), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-02 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-
02. आरक्षी केन्द्र भेड़ाघाट, तिलवारा तथा दमोह जिले से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर

पृष्ठा. क्र.०/एक-11-1/97/(S.W.)

जबलपुर दिनांक-०२ मार्च 2023

- 01- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
- 02- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर,
- 03-जबलपुर
- 04- फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय, जबलपुर को इस निर्देश के प्रेषित की सी.आई.एस. में संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण दर्ज करते समय आरक्षी केन्द्र का इंड्राज अवश्यक रूप से करें।
- 05- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर